प्र.सं. 36/2018 श्रीमती कंकूबाई व अन्य बनाम श्रीमती बाबूबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उपली बडी में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के संयुक्त, स्वामित्व, खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 316, 317, 319, 320, 321, 322 व 322/3021 कुल किता 7 रकबा 0.9750 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें आपसी सहमति से सभी सहखातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर का त करते चले आ रहे हैं। तीसरे हिस्से के खातेदार लालू जी एवं उनकी पत्नी कंकूबाई वृद्ध होने से उनकी सेवा–सुश्रुशा वादी ने की है, जिससे प्रसन्न होकर लालू जी ने उक्त आराजियात में अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा जरिये पंजीकृत दानपत्र दिनांक 19.10.2012 से वादी को कर कब्जा हस्तान्तरित कर दिया, तब से वादी निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी की मां तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी की बहने हैं। लालू द्वारा वादी के पक्ष में दान कर दिये जाने से प्रतिवादी को ईश्या होने से वादी के कब्जे का त में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आव यक है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी तथा अपने निर्णय दिनांक 10.07.2017 से वादी का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16.08.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री सुखदेव बारबर उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट/वादी ने वृद्धावस्था	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:24 IST
Reason: SelfAttested

की पेन् ान दिलाने के बहाने धोखे से दान पत्र अपने नाम करवाया है, जिससे खारिज करने का दावा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में विचाराधीन है। लोक अदालत में अपीलान्टगण को बिना सुने वाद डिक्री किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2016–17 (Supp.) पेज 566, आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 864, आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 582 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2017 को 25.07.2017 के लिए पे ाी नियत की गयी, किन्तु इसके पूर्व ही दिनांक 10.07.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर वादी का वाद डिक्री कर दिया, जिससे स्पश्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण सं. 568/2013 निर्णय दिनांक 10.07.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.11.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:24 IST
Reason: SelfAttested

(एम. [illegible] चौहान)
[illegible] अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर